

प्रेषक-

भूपेन्द्र महादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

TC
CC/Michael
11/8/16

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

10 अगस्त 2016

विषय-

विजनीर में महतौर-नूरपुर-जोधा-अमरौहा मार्ग किमी० 20.400 की दाहिरी पट्टी पर वाम आंखमगद उर्फ रतनगद के खंडरा संख्या-147 में एस्कार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट को सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे० सरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के वीर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं० 2070/विजनीर/15797/यूपी/162/2015, दिनांक 27 मई, 2016 एव 139/11सी-विजनीर दिनांक 25-7-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं०-11-268/2014/एनसी, दिनांक 11-7-2014 के बिन्दु (i) से (vii) का अनुपालन किया गया है? कृपया एतद्विषयक सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

महोदय,


(भूपेन्द्र महादुर सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 321 /11सी-विजनीर, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 12-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र०शासन द्वारा अर्पित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, विजनीर।

(अरविन्द गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।